

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

---

युगलपीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्नि होत्री एवं  
माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण।

---

**रिट याचिका क्रमांक 1588 / 2006****याचिकाकर्ता**

कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

**बनाम**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

**उत्तरवादीगण**

निर्णय हेतु विचारार्थ

हस्ताक्षर/-

सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीशमाननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

मैं सहमत हूँ ।

हस्ताक्षर/-

एम.एम.श्रीवास्तव  
न्यायाधीश

आदेश की घोषणा हेतु दिनांक 19 मार्च 2012 को सूचीबद्ध करें ।

हस्ताक्षर/-

सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय :बिलासपुर**

युगलपीठ:

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री एवं  
माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीशगण।**रिट याचिका क्रमांक 1588 / 2006**

याचिकाकर्ता

कृष्णा आयरन स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड

**बनाम**

उत्तरवादीगण

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत याचिका)

उपस्थित :

श्री नीलभ दुबे, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।  
श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता, राज्य की ओर से।

( 19 मार्च, 2012 को निर्णय पारित किया गया )

**द्वारा : सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश.**

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग (वाणिज्यिक कर विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/11/2005/सीटी/वी (20) दिनांक 1-4-2005 (अनुलग्नक – पी/4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है, जिसके द्वारा पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 को निरस्त किया गया है।
2. याचिकाकर्ता एक एकीकृत संयंत्र में स्टील ट्यूब्स का निर्माता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, एकीकृत संयंत्र में स्टील स्ट्रिप्स का निर्माण किया जाता है और तत्पश्चात उसी का उपयोग स्टील ट्यूब्स के निर्माण में किया जाता है। स्टील ट्यूब्स के अन्य वर्ग के निर्माता छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर से स्टील स्ट्रिप्स क्रय करते हैं और उसके बाद वे स्टील ट्यूब्स का उत्पादन करते हैं। राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (16) दिनांक 12-2-2002 (अनुलग्नक – पी/5) द्वारा, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में “सीएसटी”) की धारा 8 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं के वर्ग को कर



के भुगतान से उक्त अधिनियम के अंतर्गत, स्तंभ (3) में निर्दिष्ट सीमा तक, अवधि 10-8-2001 से 31-3-2003 तक छूट प्रदान थी।

3. उसी दिन, एक अन्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (iv) के खंड (xi) निर्दिष्ट श्रेणी अंतर्गत आने वाले स्टील ट्यूबर्स के व्यवसाय स्थल वाले किसी भी व्यापारी द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के अंतर्गत, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान देय कर, राज पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, ऐसे विक्रयों के उसके कारोबार पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से गणना किया जाएगा। अंततः, उक्त अधिसूचना को आक्षेपित अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/11/2005/सीटी/वी (20) दिनांक 1-4-2005 (अनुलग्नक - पी/4) द्वारा निरस्त कर दिया गया।
4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुबे ने तर्क दिया कि अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (16) दिनांक 12-2-2002 (अनुलग्नक- पी/5) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/ सीटी-वी (17) दिनांक 12-2-2002 ने विनिर्माण क्रिया के आधार पर दो अलग-अलग श्रेणियाँ निर्मित कीं और समान वस्तुओं पर भिन्न कर दरें लागू कीं। अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (16) दिनांक 12-2-2002 (अनुबंध - पी/5) उन व्यापारियों पर लागू थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित स्टील रोलिंग मिल द्वारा निर्मित स्ट्रिप्स से वस्तुओं का निर्माण करते थे तथा निर्माण कर्ता पंजीकृत व्यापारी द्वारा उस संबंध में घोषणा प्रस्तुत की जाती थी। स्टील ट्यूब्स के अन्य उत्पादकों के संबंध में जो अधिसूचना प्रभावी थी, वह अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (17) दिनांक 12-2-2002 थी, जिसके अंतर्गत कर की दर घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई थी। अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 के निरस्त हो जाने के पश्चात, लागू कर की दर 4 प्रतिशत हो गई। श्री दुबे ने आगे निवेदन किया कि अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2005/सीटी/ वी (31) दिनांक 31-5-2005 (अनुलग्नक- पी /6) द्वारा, अंक '2' के स्थान पर अंक '1' प्रति स्थापित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जा रहा था।
5. अपने तर्कों के समर्थन में, श्री दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयों पर अवलंब लिया है, जो **आयुर्वेदा फार्मसी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य<sup>1</sup> तथा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड**



तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय **राज श्री ऑयल्स एंड एक्स ट्रेडिंग्स बनाम उपायुक्त (सीटी), कर्नूल एवं अन्य<sup>3</sup>** पर आधारित थे।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित श्री कच्छवाहा, विद्वान् उप महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि स्टील ट्यूब्स का निर्माण कैस्टिव रूप से उत्पादित स्ट्रिप्स से किया जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ता फर्म द्वारा किया जा रहा है, तो कर की दर 4 प्रतिशत है। यदि पाइप्स का निर्माण बाज़ार से क्रय की गई स्ट्रिप्स से किया जाता है, तो प्रारंभ में कर की दर 2 प्रतिशत थी। तत्पश्चात्, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2005/सीटी/वी (31) दिनांक 31-5-2005 द्वारा उसे घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। दिनांक 1-4-2005 की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य में निर्मित ट्यूब्स की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर आरोपित की गई। राज्य में निर्मित स्टील ट्यूब्स की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर प्रत्येक निर्माता के लिए समान है, इस बात की परवाह किए बिना कि जिन स्ट्रिप्स से स्टील ट्यूब्स बनाए जाते हैं, वे कैस्टिव रूप से उत्पादित हैं अथवा बाहर से क्रय की गई हैं। श्री कच्छवाहा ने आगे निवेदन किया कि अधिसूचना क्रमांक एफ.

10/11/2005/सीटी/वी (20) दिनांक 1-4-2005, जिसके माध्यम से अधिसूचना क्रमांक एफ.

10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 को निरस्त किया गया, का प्रभाव यह है कि अंतर-राज्यीय बिक्री में संलग्न सभी स्टील ट्यूब निर्माताओं पर 4 प्रतिशत की समान कर दर लागू कर दी गई है। श्री कच्छवाहा ने यह भी निवेदन किया कि यदि कोई निर्माता स्टील ट्यूब्स के निर्माण के उद्देश्य से बाज़ार से स्टील स्ट्रिप्स क्रय करता है, तो स्टील ट्यूब्स की बिक्री पर, स्टील स्ट्रिप्स की खरीद पर 2 प्रतिशत कर देय होता है और तत्पश्चात् स्टील ट्यूब्स की बिक्री पर आगे 2 प्रतिशत कर लगाया जाता है; इस प्रकार, कुल कर अर्थात् 4 प्रतिशत के विरुद्ध इसे सेट-ऑफ के रूप में समायोजित कर लिया जाता है। कुल कर 4 प्रतिशत के बराबर होता है, किंतु कैस्टिव रूप से निर्मित स्टील स्ट्रिप्स के मामले में, स्टील ट्यूब्स की अंतर-राज्यीय बिक्री के समय 4 प्रतिशत कर देय होता है। इस प्रकार, दोनों प्रकार की विनिर्माण विधियों पर लगाए गए कर की दर में कोई भिन्नता नहीं है।

<sup>1</sup>(1989) 2 SCC 285

<sup>2</sup>(2007) 10 SCC 342

7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना, दलीलों का अवलोकन किया तथा संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया।
8. याचिकाकर्ता द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/11/2005/सीटी/वी (20), दिनांक 1-4-2005 के आधार पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लिया गया कोई भी आदेश अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके द्वारा पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 को निरस्त किया गया था। अतः, उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत किसी



<sup>3</sup>1998 (5) एएलडी 209

निर्धारण के अभाव में, जोकि उसके साधारण पठन मात्र से भी स्पष्ट नहीं है, इस चरण पर कोई न्याय-निर्णयन संभव नहीं है।

9. निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उद्धृत करना उपयोगी होगा :

"अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (16), दिनांक 12 फरवरी, 2002 - चूँकि राज्य शासन इस बात से संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है; अतः अब, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के वर्ग को, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान से, स्तंभ (3) में निर्दिष्ट सीमा तक, अवधि 10-08-2001 से 31-03-2003 तक, उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन, छूट प्रदान करता है :-

### अनुसूची

क्र.सं.	वस्तुओं का वर्ग	छूट की सीमा	जिन शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन छूट देय होगी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इस्पात नलिकाएँ, जैसा कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का क्र.74)की धारा 14 के उपखंड(iv) के श्रेणी (xi) में विनिर्दिष्ट है।	धारा 8(2)के अंतर्गत देय कर की पूर्ण छूट	जब ऐसे पंजीकृत विक्रेता द्वारा विक्रय किया जाए जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और जो निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु यह सिद्ध करे कि उक्त वस्तुएँ उसके द्वारा ऐसे स्ट्रिप्स से निर्मित की गई हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित स्टील रोलिंग मिल द्वारा निर्मित की गई थीं तथा विनिर्माण करने वाला पंजीकृत विक्रेता स्टील रोलिंग मिल से प्राप्त घोषणा प्रपत्र A-2 प्रस्तुत करे।

2. इस्पात नलिकाएँ, जो केंद्रीय विक्रय धारा 9 और 10 के अंतर्गत

(1) जब उक्त वस्तुएँ अधिनियम के अधीन



पंजीकृत किसी विक्रेता द्वारा बेची जाती हैं, तथा ऐसा विक्रेता उक्त वस्तुओं की बिक्री के संबंध में छूट के अपने दावे के समर्थन में, अपने निर्धारण (आकलन) के समय, निर्धारण प्राधिकारी को अधिसूचना क्रमांक ई-10-16/2002/सीटी-वी(15), दिनांक 12-02-2002 के परिशिष्ट प्रपत्र A-3 में घोषणा प्रस्तुत करता है, जो उसे उक्त माल का निर्माण करने वाले विक्रेता या नीचे पैराग्राफ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से माल बेचने वाले पश्चातवर्ती पंजीकृत विक्रेता द्वारा जारी किया गया हो।

कर अधिनियम,  
1956 (1956 का  
क्र. 74)  
की धारा 14 की देय कर की पूर्ण छूट  
श्रेणी (xi), उपखंड  
(iv) में निर्दिष्ट  
श्रेणी में आती हों



(2) स्तंभ (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण करने वाला पंजीकृत विक्रेता या तत्पश्चात ऐसी वस्तुओं को बेचने वाला पंजीकृत विक्रेता उक्त घोषणा की चार कार्बन प्रतियाँ तैयार करेगा। मूल प्रति क्रय करने वाले पंजीकृत विक्रेता को दी जाएगी। घोषणा की द्वितीय एवं तृतीय प्रतियाँ वह संबंधित विक्रय/क्रय पंजीकृत विक्रेता के क्षेत्राधिकार वाले उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रेषित करेगा तथा चतुर्थ प्रति घोषणा जारी करने वाला पंजीकृत विक्रेता अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा। संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी इन घोषणाओं की प्रतियों को संबंधित विक्रय/क्रय पंजीकृत विक्रेता के प्रकरण के आकलन अभिलेख में संबंधित अवधि के लिए संधारित करेगा।“

"अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (17), दिनांक 12 फरवरी, 2002 —चूंकि राज्य शासन इस बात से संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956(क्रमांक 74, सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निर्देश देता है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74, सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (iv) की श्रेणी (xi) में विनिर्दिष्ट स्टील ट्यूबर के व्यवसाय स्थल वाले किसी भी व्यापारी द्वारा, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत देयकर, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, उसके कारोबार पर 2 प्रतिशत की रियायती दर से गणना किया जाएगा।"



**"छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
(वाणिज्यिक कर विभाग)  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

**अधिसूचना**

**रायपुर, दिनांक 01.04.2005**

क्रमांक एफ 10/11/2005/सीटी/वी (20) — केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956(क्रमांक 74, सन् 1956) की धारा 8(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12.02.2002 को ,01.04.2005 से निरस्त करता है।"

आदेशानुसार एवं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

हस्ताक्षर/-  
(के.आर. मिश्रा)  
उपसचिव"

10. अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 द्वारा कथित रूप से की गई वर्गीकरण व्यवस्था को आक्षेपित अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/11/2005/सीटी/वी (20) दिनांक 1-4-2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, अतः याचिकाकर्ता की शिकायत अब जीवित नहीं रहती। जहाँ तक पश्चातवर्ती अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2005/सीटी/वी (31) दिनांक 31-5-2005 का संबंध है, वह केवल अधिसूचना क्रमांक एफ-10-16/2002/सीटी-वी (16) दिनांक 12-2-2002 में कर की दर में कमी से संबंधित है।
11. विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जिन निर्णयों पर अवलंब लिया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते, क्योंकि आक्षेपित अधिसूचना केवल उस पूर्व वर्ती भेद भाव को समाप्त करती है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी(17) दिनांक 12-2-2002 के अनुसरण में उत्पन्न हुआ था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया है, तथा इस दृष्टिकोण से भी कि स्टील ट्यूब्स के निर्माता कुछ तथ्यों के आधार पर सेट-ऑफ के अधीन 4 प्रतिशत अंतर -राज्यीय बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
12. अधिसूचना क्रमांक एफ. 10/16/2002/सीटी/वी (17) दिनांक 12-2-2002 ,धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत देय कर से संबंधित है। यदि उक्त अधिसूचना को आक्षेपित अधिसूचना द्वारा निरस्त कर दिया गया है, तो स्टील ट्यूब्स केंद्रीय बिक्री कर





अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत आ सकते हैं तथा कर की दर को अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2005/सीटी/वी (31) दिनांक 31-5-2005 द्वारा '2' से घटाकर '1' कर दिया गया है। अतः, न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता पर धारा 8(2) अथवा धारा 8(1) के अंतर्गत कर देय है, जिसे व्यापारी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उचित आकलन किए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस चरण पर यह याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि समस्त आवश्यक तथ्य उपलब्ध नहीं हैं, चूँकि याचिकाकर्ता को यह अपेक्षित था कि उसे आकलन प्राधिकारी के समक्ष रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए था, और तत्पश्चात उस पर लिया गया निर्णय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योग्य होता। यदि कोई शिकायत अब भी शेष रहती है, तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सहारा ले सकता है, यदि उसे ऐसा करना उचित लगे।

14. परिणामस्वरूप, निरर्थक पाई गई यह रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार निरस्त की जाती है। पक्षकारों को अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

हस्ताक्षर/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

हस्ताक्षर/-  
एम.एम. श्रीवास्तव  
न्यायाधीश

गौरी



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ADV.VARSHA THACKER.

